

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर बेंच रीवा, जिला-रीवा
(म0प्र0)

श्री राजकुमार शुक्ला एड.
व्हारा पेशा/ 12-11-14



R-4002/III/2014

छकौड़ीलाल तनय रामप्रताप विश्वकर्मा उम्र 70 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी
ग्राम-खजुहा कला, तह0 गुढ़, जिला-रीवा (म0प्र0)

आवेदक/निगरानीकर्ता
बनाम्

रामसजीवन तनय मुल्ले कुर्मी उम्र 70 वर्ष पेशा कृषि, निवासी
ग्राम-खजुहाकला, तहसील-गुढ़, जिला-रीवा (म0प्र0)

अनावेदक/गैरनिगराकार

निगरानी आवेदन-पत्र ^{र विद्वान्} ~~राजस्व~~ आराजी खसरा क्र.
887/2 रकवा 0.10 एकड़ स्थित ग्राम-खजुहा
तहसील-गुढ़ जिला-रीवा (म0प्र0) में आवेदक
का नाम जो म0प्र0 वास स्थान दखलकार
अधिनियम 1980 के तहत दर्ज किया गया था
उसे निरस्त किए जाने का आदेश न्यायालय
श्रीमान् अपर कलेक्टर रीवा (म0प्र0) के प्रकरण
क्र. 90/अ-66/2012-13 में पारित आदेश
दिनांक 06.08.2014.

निगरानी आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 7 म0प्र0
वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का
प्रदान किया जाना) अधिनियम 1980.

488
12-11-14

क्रमांक 3163
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 26-11-14 को प्राप्त

कलक ओरिजनल
राजस्व मण्डल ग.प्र. ग्वालियर

23.8.18

1- आवेदक तथा आवेदक के विद्यमान अभिभाषक
नी राज कुशाट गुकला की पुकार समग्र समग्र
पर तीव्र वाट करापी गयी. किन्तु वह सन्तान
उपरांत उपाधिगत नहीं है।

2- श्रीके आवेदक तथा अभिभाषक सन्तान
उपरांत उपाधिगत नहीं है। अतः संविदा की
धारा 35(2) के तहत प्रकृत अदम पैरवी
में ख्याति किया जाता है।

3- अदम की प्रती के साथ अदम. पापा. का रिकार्ड
वापस किया जावे। तत्पश्चात् प्रकृत पत्नी से
सम्बन्ध तोड़ दू हो।

hm
सदस्य 23/8/18

[क. प. उ.]